<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>29/11/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटरों, बासुदेब बागची और अविक बागची को **चिटफंड घोटाले** से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। पिता-पुत्र की जोड़ी पर मासिक आय योजना (एमआईएस), रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और क्लब सदस्यता प्रमाणपत्र जैसी झूठी उच्च-रिटर्न योजनाओं के तहत 2,800 करोड़ रुपये की जमा राशि एकत्र करके जनता को धोखा देने का आरोप है। अब तक, निवेशकों को 1,900 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसी नियामक संस्थाओं से आवश्यक प्राधिकरण के बिना अवैध रूप से काम किया, जिससे कई राज्यों में लाखों निवेशक प्रभावित हुए। इससे पहले 26.11.2024 को कोलकाता और मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक रिकॉर्ड और सबूत जब्त किए गए थे। निवेशकों से एकत्रित धन को प्रमोटरों ने कई संस्थाओं को शामिल करके कई स्तरों पर जमा किया और बाद में विभिन्न संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया।

माननीय विशेष सीबीआई कोर्ट, कोलकाता ने ईडी को दोनों आरोपियों की 10 दिनों की हिरासत प्रदान की है। ईडी धोखाधड़ी के धन का उपयोग करके अर्जित संपत्तियों का पता लगाने के लिए आरोपियों से आगे पूछताछ करेगा। यह कार्रवाई घोटाले से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के ईडी के प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सही निवेशकों और पीड़ितों को धन वापस दिलाना है।